Annexure-II

Goverment of Jharkhand

Office of Distiict Collector –cum- Deputy Commissioner, Jamtara

No. :- 1007/Rev Dated :- 31.10.16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98 FC(pt.) dated 3rd August 2009 Wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA' For Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose, it is certified that 2.9069 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Power Gride Corporation of India Ltd. (Name of the User Agency) for Construction of 220 KV D/C Gobindpur-Dumka Transmission Line in Jamtara District Falls Within Jurisdiction of Sukhjora Village in Jamtara Tehsil, Raidih Village in Narayanpur Tehsil and Kamardih and Murgabani Villages in Karmatanr Tehsil. It is further certified that.

- The Complete process for identification of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.9069 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Right Committee (s), Gram Sahaba (s), Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to 52.

- The Proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

- The each of Concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of Certificate issued by the gram sabha of Sukhjora Village in Jamtara Tehsil, Raidih Village in Narayanpur Tehsil and Kamardih and Murgabani Villages in Karmatanr Tehsil are enclosed as annexure 1 to 52.

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

कार्यालय– समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा।

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक– 20.10.2016 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 के अन्तर्गत उपायुक्त, जामताड़ा –सह– अध्यक्ष, जिला वनाधिकार समिति, जामताड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहुत की गई।

उपस्थिति बैठक पंजी के अनुसार–

आज की बैठक में अध्यक्ष –सह– उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा वनाधिकार समिति के सदस्यों को 220 KV गोविन्दपुर – दुमका – ट्रांसमिशन लाईन के लिए पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वनभूमि के उपयोग हेतु मुख्य प्रबन्धक (झा0परा0प0) पावर ग्रिड, धनबाद के पत्रांक–ER-I/JCP/Dhanbad/Govindpur-Dumka Tr.Line. दिनांक–12.08.2016 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक– 730/सा0 दिनांक– 23.09.2016 द्वारा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति से पारित प्रस्ताव एवं संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा कराये गए आमसभा की कार्यवाही, चेक लिस्ट एवं तैयार कराये गए ट्रेस नक्शा की जाँच करते हुए, वनाधिकार अधिनियम– 2008 एवं संशोधित अधिनियम– 2012 का हवाला देते हुए इस जिले के जामताड़ा अंचल के मौजा–सुखजोड़ा, नारायणपुर अंचल के मौजा–रायडीह एवं करमाटाँड़ अंचल के मौजा– कमारडीह एवं मुर्गाबनी से प्राप्त दावों (वन भूमि के अपयोजन के मामले) की जाँच की गयी। जाँचोंपरान्त, समिति द्वारा निम्न प्रकार प्रस्ताव पारित किया गया जो गोविन्दपुर – दुमका – ट्रांसमिशन लाईन के लिए वनाधिकार अधिनियम–2006 के तहत NOC एवं FRA निर्गत करने हेतु वनाधिकार अधिनियम के उपबंध, नियम– 3, उप–नियम– 1 एवं 2 के अन्तर्गत अपयोजन योग्य है

1. 220 KV गोविन्दपुर – दुमका – ट्रांसमिशन लाईन के लिए पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वनभूमि के उपयोग हेतु –

क्र.	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना सं0	खाता संख्या	दाग संख्या	रकवा (हेक्टेयर में)	मौजा का कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	जामताड़ा	सुखजोड़ा	09	79	880	0.3891	0.6111	
					1014	0.824		
					1013	0.067		
					3636	0.0426		
					878	0.0249		
					1754	0.0051		
2.	नारायणपुर	रायडीह	34		01	0.1578	0.1578	
3.	करमाटाँड़	कमारडीह	32	32	385	0.2145	0.5102	
					321	0.2957		
		मुर्गाबनी	62	34	275	1.6113	1.6278	
					49	0.0165		
					कुल योग		**2.9069**	

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा सर्व–सम्मति से उपर्युक्त तीनों प्रस्ताव पर वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 के उप धारा (1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार एवं उप धारा (2) के अंतर्गत सरकार द्वारा व्यवस्थित सुविधाओं के लिए वन भूमि का परिवर्तन के समीक्षा कर ली गई है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा। | अपर समाहर्त्ता, जामताड़ा। | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा। | उपायुक्त, जामताड़ा।

- The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requird under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

- The rights of primitive Tribal Groups and pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl :- As Above.

अपर समाहर्ता
जामताड़ा

Deputy Commissioner,
Jamtara.

Memo No. 1007/Rev. Jamtara, Dated 31.10.16

Copy:- forwarded to Divisional Forest Officer, Jamtara for information and necessary action.

अपर समाहर्ता
जामताड़ा

Deputy Commissioner,
Jamtara.

(5) 23/9/16

58 971 23/9/16

अनुमंडल पदाधिकारी,जामताड़ा का कार्यालय।

पत्रांक...730...../सा0

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
जामताड़ा।

सेवा में,

अपर परियोजन निदेशक,
–सह–
जिला कल्याण पदाधिकारी,
जामताड़ा।

24.09.16

जामताड़ा, दिनांक...23/9/16

विषयः– वनाधिकार अधिनियम–2006 के तहत् 220KV गोविंदपुर–दुमका ट्रान्समिशन के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का प्रेषण।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् 220KV गोविंदपुर–दुमका ट्रान्समिशन के लिए वनभूमि के उपयोग हेतु अंचल अधिकारी, जामताड़ा, नारायणपुर एवं करमाटॉड़ से प्राप्त तीन (03) प्रस्तावों को अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की कार्यबाही अभिलेखो की मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजा जाता है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः–यथोक्त।

21/9

अनुमंडल पदाधिकारी,
जामताड़ा

21/9/16 21/9/16

(51)

ज्ञापांक- 876/आई.टी.डी.ए.   जामताड़ा, दिनांक- 26/10/16

प्रतिलिपि- सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित अचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा जिला / भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, जामताड़ा/अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा / अपर समाहर्त्ता, जामताड़ा / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबन्धक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, सरायढेला, घनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/10/16

उपायुक्त
जामताड़ा।
20.10.16

क्रम0	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना न0	खाता न0	दाग न0	रकवा	कि
01.	जामताड़ा	सुखजोड़ा	09	79	880	0.3891	पल जंग
	जामताड़ा	सुखजोड़ा	09	79	1014	0.824	पल जंग
	जामताड़ा	सुखजोड़ा	09	79	1013	0.067	पल जंग
	जामताड़ा	सुखजोड़ा	09	79	3636	0.0426	जंग पल
	जामताड़ा	सुखजोड़ा	09	79	878	0.0249	पल जंग
	जामताड़ा	सुखजोड़ा	09	79	1754	0.0051	पल जंग
2.	नारायणपुर	रायडीह	34	–	01	~~45.50~~ 0.1578	जंग
3.	करमाटाँड़	कमारडीह	32	32	385	0.2145	जंग झांर्ट
	करमाटाँड़	कमारडीह	71	32	321	0.2957	जंग झांर्ट
	करमाटाँड़	मुर्गाबनी	62	34	275	1.6113	जंग झांर्ट
	करमाटाँड़	मुर्गाबनी	62	34	49	0.0165	जंग झांर्ट

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 –
अनुमंडल पदाधिकारी
जामताड़ा

ज्ञापांक 731 /सा0 जामताड़ा, दिनांक 23/9/16

प्रतिलिपि– सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित

प्रतिलिपि– अपर परियोजना निदेशक–सह–जिला कल्याण पदाधिकारी जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17.9.16

अनुमंडल पदाधिकारी
जामताड़ा

17/9/16 17/9/16

अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा का कार्यालय।

बैठक की कार्यवाही

दिनांक-17.09.16 को 220KV गोविन्दपुर-दुमका ट्रान्समिशन लाईन के लिए पावर ग्रिड कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वन भूमि के उपयोग हेतु वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत् NOC एवं FRA निर्गत करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्यों (पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि) ने भाग लिया:-

1.अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा।

2.भूमि सुधार उप समाहत्ता, जामताड़ा।

3.अनुमंडल वन पदाधिकारी, जामताड़ा।

4.अंचल अधिकारी, जामताड़ा।

5.अंचल अधिकारी, करमाटॉड़।

6.अंचल अधिकारी, नारायणपुर।

7.श्रीमती शिवासिनी हेम्ब्रम ''मुखिया''
पंचायत-रानीडीह।

बैठक की कार्यवाही:- बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष के द्वारा सभी सदस्यों को वनाधिकार अधिनियम-2006 का हवाला देते हुए इस जिले में जामताड़ा, नारायणपुर तथा करमाटॉड़ से प्राप्त कुल 03 प्रस्ताव का उल्लेख किया गया।

प्रस्ताव सं0-1. अंचल अधिकारी, जामताड़ा के द्वारा 220KV गोविंदपुर-दुमका ट्रान्समिशन लाईन के लिए पावर ग्रिड कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वन भूमि के उपयोग हेतु 01 (एक) प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिसकी जांच अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा की गई तथा सही पाये जाने पर उक्त प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव सं0-2. अंचल अधिकारी, नारायणपुर के द्वारा 220KV गोविन्दपुर-दुमका ट्रान्समिशन लाईन के लिए 01 (एक) प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिनकी जांच अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा की गयी तथा सही पाये जाने पर उक्त प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव सं0-3. अचंल अधिकारी, करमाटॉड़ के द्वारा 220KV गोविन्दपुर-दुमका ट्रान्समिशन लाईन के लिए एक (01) प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया जिनकी जाँच अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा की गई तथा सही पाये जाने पर उक्त प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया गया।

स्वीकृत प्रस्तावों की समेकित विवरणी निम्न प्रकार है:-

46

अभिलेख उपस्थापित।

23/8/16 राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है जो अभिलेखबद्ध है। एवं दिनांक 23.8.16 को संबंधित ग्राम में ग्राम सभा करायी गयी। ग्राम सभा के कार्यवाही की प्रति मूल रूप में अभिलेखबद्ध है। ट्रान्समिशन लाईन हेतु उपयोग में लाये जाने वाली जमीन का ट्रेश मैप मूल रूप में अभिलखबद्ध है। ग्राम सभा के कार्यवाही में इस बात का उल्लेख है कि मौजा सुखजोड़ा थाना नं0 – 09 अनावादी खाता संख्या – 79 के अन्तर्गत दाग संख्या 880 प्रस्तावित रकवा 0.3891 हेक्टेयर, 1014 प्रस्तावित रकवा – 0.824 हे0, 1013 प्रस्तावित रकवा 0.067 हे0, 3636 प्रस्तावित रकवा 0.0426 हे0, 878 प्रस्तावित रकवा 0.0249 हे0 एवं 1754 प्रस्तावित रकवा 0.0051 हे0 किस्म जंगल झाड़ी / पलाश जंगल जमीन पर 220KV गोविन्दपुर – दुमका ट्रान्समिशन लाईन के लिए हम ग्रामिणों को कोई आपत्ति नहीं है।

अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी जामताड़ा के सेवा में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा जाय।

(हस्ताक्षर) 23/8/16

अंचल अधिकारी

जामताड़ा।

45

अनुमंडल कार्यालय, जामताड़ा।

आदेश फलक

अंचल –जामताड़ा

मौजा–सुखजोड़ा

अभिलेख संख्या–

17.9.16

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक–978/रा0, दिनांक–03.09.16 के द्वारा 220KV गोविंदपुर दुमका ट्रान्समिशन के लिए पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अवलोकन किया। मौजा–सुखजोड़ा,थाना–09, अनावादी खाता संख्या–79 के अन्तर्गत दाग संख्या–880, प्रस्तावित रकवा–0.3891 हे0, दाग सं0–1014, प्रस्तावित रकवा–0.824 हे0, दाग सं0–1013, प्रस्तावित रकवा–0.067 हे0, दाग सं0–3636, प्रस्तावित रकवा–0.0426 हे0, दाग सं0–878, प्रस्तावित रकवा–0.0249 हे0 एवं दाग सं0–1754, प्रस्तावित रकवा–0.0051 हे0,पलाश जंगल/जंगल पलाश जमीन का उपयोग 220KV गोविन्दपुर –दुमका ट्रांसमिशन लाईन के लिए किया जाना है। अभिलेख के साथ ग्राम सभा द्वारा पारित अनापत्ति प्रमाण पत्र, ट्रेश मेप खतियान की प्रति तथा जाँच प्रतिवेदन संलग्न है।

अतः मूल अभिलेख जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ भेजें।

17.9.16

अनुमंडल पदाधिकारी,

जामताड़ा

सेवा में,

अंचल अधिकारी
जामताड़ा, (जामताड़ा)

(५५)

विषय:- 220 KV गोविन्दपुर - दुमका ट्रांसमिशन लाईन हेतु उपयोग में आने वाले जंगल-झाड़ी भूमि का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि 220 KV गोविन्दपुर - दुमका ट्रांसमिशन लाईन हेतु मौजा - सुरुजोड़ा में जंगल-झाड़ी भूमि का अनापत्ती प्रमाण पत्र निर्गत हेतु भूमि की विवरणी उपलब्ध राजस्व अभिलेख के आधार पर निम्न है।

क्र०सं०	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा है०	किस्म
1.	सुरुजोड़ा	09	79	880	0.3891	जंगल-झाड़ी
2.	"	09	79	1014	0.824	"
3.	"	09	79	1013	0.067	"
4.	"	09	79	3636	0.0426	"
5.	"	09	79	878	0.0249	"
6	"	09	79	1754	0.0051	"

अग्रेतर कारवाई हेतु श्रीमान को सादर जाँच प्रतिवेदन समर्पित।

प्र० नि०
[illegible]

26-8
विश्वास नाहन

47

आदेश की क्रम - संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
16/8/2016	यह अभिलेख उपायुक्त जामताड़ा के पत्रांक 743/रा0 दिनांक 12.08.2016 के आलोक में संधारित किया गया है। पत्र में वर्णित है कि 220KV गोविन्दपुर - दुमका ट्रान्समिशन लाईन के लिए पावर ग्रीड कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को परियोजनार्थ वन भूमि के अपयोजन हेतु जंगल झाड़ी भूमि का वनअधिकार अधिनियम 2006 के तहत NOC एवं FRA निर्गत हेतु ग्राम सभा का आयोजन करते हुए अनुमण्डलीय स्तर वनअधिकार समिति को प्रस्ताव भेजा जाना है। इस क्रम में मौजा सुखजोड़ा थाना नं0 - 09 अनावादी खाता संख्या - 79 के अन्तर्गत दाग संख्या 880 प्रस्तावित रकवा 0.3891 हे0, 1014 प्रस्तावित रकवा - 0.824 हे0, 1013 प्रस्तावित रकवा 0.067 हे0, 3636 प्रस्तावित रकवा 0.0426 हे0, 878 प्रस्तावित रकवा 0.0249 हे0 एवं 1754 प्रस्तावित रकवा 0.0051हे0 जमीन का उपयोग उक्त लिखित परियोजन हेतु किया जाना है। संबंधित राजस्व कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से समर्पित करें। साथ ही मौजा - सुखजोड़ा में दिनांक 23.8.16 को ग्राम सभा कराते हुए सभा की कार्यवाही प्रति समर्पित करें। अभिलेख दिनांक 29.8.16 को उपस्थापित करें। लेखापित। 16/8/16 अंचल अधिकारी 16/8/16 अंचल अधिकारी जामताड़ा।	

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा

जिला राजस्व शाखा

पत्रांक 742 /रा0,

प्रेषक,

उपायुक्त,
जामताड़ा।

सेवा में,

अंचल अधिकारी
करमाटाँड़ / जामताड़ा / नारायणपुर।

जामताड़ा, दिनांक 12/08/16

विषयः- 220 KV गोविन्दपुर-दुमका-ट्रांसमिशन लाईन के लिए पावर ग्रीड ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वनभूमि के अपयोजन हेतु जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य प्रबंधक (झा0परा0प0) पावर ग्रिड, धनबाद का पत्रांक-ER-1/JCP/Dhanbad/Gobindpur-Dumka Tr.line, दिनांक-12.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पावर ग्रिड ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपयोजन हेतु कुल-6.2169 हेक्टेयर वन भूमि का जंगल झाड़ी भूमि हेतु संशोधित NOC एवं वन भूमि हेतु FRA निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इन्हीं मौजा में कुल-4.758 हेक्टेयर भूमि हेतु अनापत्ति निर्गत किया गया था।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में जाँच प्रतिवेदन, ट्रेश मेप एवं खतियान की छायाप्रति के साथ संबंधित ग्रामों में ग्राम सभा कराकर अभिलेखबद्ध प्रस्ताव पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

उपायुक्त
जामताड़ा।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

21

दिनांक- 21.08.16 को अंचल- करमाटाँड़ (विद्यासागर) के अन्तर्गत ग्रा- कमारडीह में सामुदायिक विकास भवन में श्री नकुल दास की अध्यक्षता में पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वन भूमि प्रयोजनार्थ हेतु NOC निर्गत हेतु ग्रामीणों की एक बैठक बुलाई गई। उक्त बैठक में निम्न हस्ताक्षरित व्यक्तियों ने भाग लिया।

1. Roshanlal das
2. Parmeshwar Kumar Das
3. राजन दास
4. टीप निशान बुन्नी बाउरी
5. गौरी शंकर दास
6. टीप निशान परिया देवी
7. L.T.I. जितारी बाउरी
8. L.T.I. अर्जुन बाउरी
9. टि० नि० जुगनू बाउरी

नकुल दास
सभाध्यक्ष ग्रा० स०

10. अरुण रजक
11. Chhotelal rajak.
12. टि० नि० कमली देवी

(13) मनेजर दास
हि० नि०

(14) कौशल्या देवी

(15) महावीर दास

(16) ल.नि.
राधा देवी

(17) ल.नि.
बच्चू दास

(18) ल.नि.
बच्चू-दास

(19) ल.नि.
राधिका देवी

(20) ल.नि.
धीरज बाउरी

(21) नकुल दास

(22) राम टहल दास

(23) [illegible] F/27

(24) विनय दास

(25) विनिजर रजक

सेवा में

श्रीमान् अंचल अधिकारी - [illegible]

विषय - पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए ग्राम सभा

महोदय, आदेशानुसार आज दिनांक 23-8-16 को ग्राम - [illegible] में पावर ग्रिड कार्पोरेशन के लिए ग्राम मुखिया श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा किया गया जिसमें [illegible] ग्राम के Plot No - 880 1014 1013 3636 878 1754 में रकबा 0.3891 Ha, 0.824 Ha, 0.067 Ha, 0.0426 Ha, [illegible] 0.249 Ha [illegible] पावर ग्रिड के लिए [illegible] पंचायत के विकास के लिए आवश्यक है। सरकार की ओर से [illegible] में विकास का प्रतीक है।

प्रस्ताव सं 2 : अतः ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों को समझा कर पावरग्रिड के स्थापना के लिए समस्त ग्राम मुखिया एवं सभी ग्रामवासियों का हस्ताक्षर लिया गया [illegible] आम सभा किया गया।

1. Abdul [illegible]
2. सोनाराम [illegible]
3.
4. [illegible]
5. [illegible]
8. [illegible]
9. दीपक राम
10. फुलकान मंडल
11. शिवलाल [illegible]
12. बाबल [illegible]
13. [illegible]

प्रस्ताव सं० - (3) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया

भूमि दाग सं०- 385 एवं 321 रकवा क्रम

हेक्टेयर एवं 0.2957 हेक्टेयर कुल रकवा-

हेक्टेयर भूमि को 220 KV गोविन्दपुर- दुमका

ट्रांसमिशन लाईन के लिए पावर ग्रिड कार्पोरे

ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वनभूमि

के अपयोजन हेतु NOC निर्गत किया जा सकता

उपरोक्त आलोचना के उपरान्त

ध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए स

की कार्यवाही समाप्त की गई। नकुल दा

सभाध्यक्ष का ह०

अरुण कु० दास
राजस्व - कर्मचारी

30/8/18

राजेन्द्र कुमार झा
राजस्व कर्मचारी

(20)

ग्रा० सचिव
मौलिन्द्र भाउरी

(27) ग्रा० निगरान
रामेश्वर प्रधान

(28) L.T.I.
आमो देवी

(29) जुगल रजक

नकुल दास

बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये :—

प्रस्ताव सं० -(1) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मौजा कमारडीह थाना न०- 32 के अन्तर्गत दाग सं०- 385 एवं 321 रकवा क्रमशः 0.2145 हे० एवं 0.2957 हे० कुल रकवा- 0.5102 हेक्टेयर भूमि ट्रांसमिशन लाइन के लि[ए] NOC निर्गत किया जाना है।

प्रस्ताव सं० -(2) प्रस्तावित दाग सं०- 385 एवं 321 का स्थानीय अमी[न] के साथ जाकर सरजमीन जाँच किया तथा मापी कार्य कराया गया एवं मापी के पश्चात प्रस्तावित दाग सं० का राजस्व अभिलेख के साथ मिलान किया एवं पाया कि प्रस्तावित भूमि दाग सं०- 385 एवं 32[1] रकवा क्रमशः 5.28 ए० एवं 8.74 ए० किस्म- जंगल झाड़ी सर्वे खतियान में दर्ज है। सरजमीन जांच के क्रम में पा[या] गया कि प्रस्तावित भूमि गैर मजरुआ जंगल झाड़ी की श्रेणी में आता है एवं वर्त्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा विवाद से मुक्त है।

P.T.O

18

प्रस्तावित दाग सं० पर ग्रामीणों द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः 220 KV D/C गोविन्दपुर दुमका- ट्रान्समिशन लाईन के लिए प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपयोजन ग्रामीणों का किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है।

उक्त आलोचना के उपरान्त सभाध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा की कार्यवाही समाप्त की गई।

21-08-16
सभाध्यक्ष का ह०

21/08/16

K.C

21/8/16

(527) (19)

आज दिनांक - 21-08-16 को ग्राम - मुर्गावनी में उ० मध्यविद्यालय भवन परिसर में उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष मुखिया ग्राम पंचायत बारादाहा श्री सुनील बास्की की अध्यक्षता में 220 K.V D/C गोविन्दपुर - दुमका - ट्रान्समिशन लाईन के लिए पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वन भूमि के NOC के संबंध में एक ग्राम सभा बुलाई गई।

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर एवं टि० नि० :-

(signature) 21.8.16
सभाध्यक्ष का ह०

1. Nirmal Pandit
2. गोविन्द पंडित
3. [illegible] पंडित
4. टि० नि० मंगल उड़ै
5. बैद्यनाथ किस्कू
6. किसन पंडित
7. Uttam Marandi
8. टि० नि० कामेश्वर [illegible]
9. टि० नि० सहदेव हेम्ब्रम
10. टि० नि० शिवशंकर उड़ै
11. टि० नि० बैधनाथ किस्कू
12. टि० नि० वरुण मरांडी
13. टि० नि० गीदा उड़ै
14. टि० नि० सुरेन्द्र कोल
15. टि० नि० ग्राम [illegible]
16. टि० नि० महावीर सोरेन
17. टि० नि० [illegible] लाल पंडित
18. टि० नि० [illegible] उड़ै
19. टि० नि० हेमलाल उड़ै

आज की बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :-

प्रस्ताव सं० -(1) उक्त बैठक में उपस्थित ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक बताया गया एवं निर्णय लिया गया है कि मौजा - मुर्गावनी थाना नं० - 62 के खाता सं० - 34, दाग सं० - 275 एवं 49 रकवा क्रमशः 1.611 0.0165 के किस्म - जंगल झाड़ी कटकर सर्वे खतियान में दर्ज है।

~~क्रमशः~~ –

दाग न० - 01 रकबा - 45.50 एकड़ पर उपस्थित हस्ताक्षरित ग्रामीणों का किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। तथा प्रस्तावित रकबा - 0.1578 हेक्टेयर भूमि का सर्वसम्मति से चयन किया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अध्यक्ष महोदय ने सभा की समाप्ति की।

नव गोपाल [illegible]
अध्यक्ष

ग्रामसभा

दिनांक 19-08-2016 को ग्राम - रायडीह में 220 KV (ग)
...पुर दुमका ट्रांसमिशन लाईन के लिए दाग नं०-01
अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी एक बैठक श्री नवगोपाल
...कार की अध्यक्षता में बुलायी गयी जिनमें निम्नांकित
...लोगों ने भाग लिया।

नव गोपाल कर्मकार
अध्यक्ष

नारायणमंडल (उप मुखिया) वार्ड पार्षद

(2) पार्वती देवी
मुखिया
ग्राम पंचायत - पथिया
प्रखण्ड-नारायणपुर

(3) बा० नि० ...लधर मंडल

(4) बा० नि० श्याम मंडल

(5) बा० नि० महादेव मंडल

(6) मानिक मंडल

(7) Haradhan mandal

(8) उत्तम मंडल

(9) मिरु मंडल

(10) Vivek... mandal

(11) गोपाल स्वर्णकार

(12) प्रह्लाद स्वर्णकार

(13) दिलीप सिंह

(14) रामेश्वर सिंह

(15) जंगबहादुर सिंह

(16) गुरु प्रसाद सिंह

(17) पंचु मांझी

(18) मनसा हेम्ब्रम

- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- The rights of primitive Tribal Groups and pre-Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl :- As Above.

Additional Collector
Jamtara

Deputy Commissioner,
Jamtara

Memo No. 231 /Rev. Jamtara Dated 26/02/16

Copy forwarded to DIVISIONAL FOREST OFFICER, JAMTARA for information and necessary action.

Additional Collector
Jamtara

Deputy Commissioner,
Jamtara

26/02/16

FORM II

(For projects other than timer projects)

Government of Jharkhand

Office of District Collector -cum- Deputy Commissioner , Jamtara

No :- 231/Rev Dated :- 26/02/16

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98 FC(pt.) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' For Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose, it is certified that *4.758* hectares of forest land proposed to be diverted in favour of *POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD* (name of user agency) for construction of 220 kV D/C Gobindpur-Dumka Transmission Line in Jamtara district falls within jurisdiction of *Gundlipahari* Village in Jamtara Tehsil and *Baramasia, Lakhanpur and Murgabani* Villages in Karmatanr Tehsil.

It is further certified that.

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire *4.758* hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Right Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to 33.
- The Proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- The each of Concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of Certificate issued by the gram sabha of *Gundlipahari, Baramasia, Lakhanpur and Murgabani* Villages is enclosed as annexure 1 to 25.
- The discussion and decision on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

[illegible]

15. [illegible] सिंह

16. [illegible]

17. श्री [illegible] रविदास

18. [illegible]

(19) [illegible]

(20) [illegible]

19. [illegible]

(20) [illegible]

(21) [illegible] महतो

(23) [illegible]

(24) [illegible]

[illegible] से निर्णय लिया गया कि 220 KV D/C [illegible] लाइन के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के [illegible] प्रस्तावित खाता-10 के अन्तर्गत [illegible] खेसरा 2616 जिसका कुल रकबा 1.10 एकड़ [illegible] इस प्रकार के [illegible] में कोई आपत्ति नहीं है।

अंत में सभा की कार्यवाही धन्यवाद [illegible] की गई है।

सुनिता सिंह

[illegible]

मौजा — गुन्थली पहाड़ी न०प०
पट्टी — धौनना
सब डिविजन — अमताड़ा
जिला — अल्मोड़ा
स्केल — 16" = 1 मील

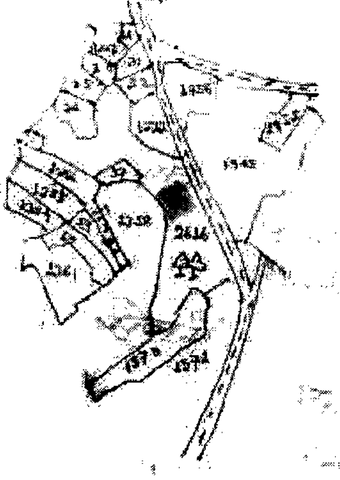

खाता नं० — — — — रकबा
1333/2616 खाता नं० पर वि वि मार्ग मय — 00.180 हैक्टर

क्र०	मौजा का नाम
1	2
1.	बरसांजिया
2.	लखनपुर
3.	लखनपुर
4.	लखनपुर
5.	मुर्गीवली

उपरोक्त प्लॉट का ... सकता है।

अनु०: —

पत्रांक: 55/21 दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि: ...

विश्वास...

आज दिनांक 12.02.16 को ... [illegible] में ... उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष ... ग्राम प्रधान श्री ... की अध्यक्षता में 220 KV D/C गोविन्दपुर- दुमका ... के निर्माण के लिए पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ ... भूमि के NOC के संबंध में एक ग्राम सभा बुलाई गई।

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर एवं टि० नि० :-

शिवनान्द सोरेन
सभाध्यक्ष का ह०

1. मोहेश्वर मरांडी
2. सोनाराम हाँसदा
3. [illegible signature]
4. टि० नि० गणेश हेम्ब्रम
5. रविश्वर हाँसदा
6.
7. टि० नि० सालमुनी हुडू
8. शैलेन्द्र सोरेन
9. टि० नि० अंजलमुनी
10. टि० नि० सोहमुनी बास्की
11. टि० नि० चिन्तामुनी हेम्ब्रम
12. सुनीता हुडू
13. बिमोती हेम्ब्रम
14. टि० नि० शांति हेम्ब्रम
15. सिमलस मुर्मू
16. टि० नि० ... टुडू
17. टि० नि० चुनी किस्कु
18. टि० नि० किस्कु हाँसदा
19. टि० नि० सुमी टुडू
20. टि० नि० लेखोनी हेम्ब्रम

आज की ग्राम सभा में निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :-

प्रस्ताव सं० - (1) उक्त बैठक में उपस्थित ग्रामीणों को विस्तारपूर्वक बताया गया एवं निर्णय लिया गया कि मौजा- बरमसिया थाना नं० - 61 के खाता सं० - 16, दाग सं० 02, रकबा- 0.397 ह०, हेक्टेयर, किस्म- जंगल झाड़ी

P.T.O

आज दिनांक 12-02-2016 को ग्राम [illegible] के प्रांगण में उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष श्री निर्मल किस्कू [illegible] की अध्यक्षता में 220 KV D/C गोविन्दपुर दुमका [illegible] लाईन के लिए पावरग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वनभूमि के अपयोजन हेतु N.O.C. के संबंध में एक ग्राम सभा हुई जिसमे निम्नांकित ग्रामीणों ने अपना - अपना हस्ताक्षर एवं टीप निशान किया जो इस प्रकार है!-

Nirmal Kisku
सभा अध्यक्ष का
हस्ताक्षर

1. Dilip [illegible]
2. टि०नि० फिलोमन दास
3. प्रमीला दास
4. Sushma Das
5. Rose Leena Das
6. टि०नि० भरत दास
7. टि०नि० रतन दास
8. टि०नि० रुबेन दास
9. Sanjay Das
10. टि०नि० रमेश दास

शीतल दास

सधीर दास

प्रीति दास

[illegible]
अनुमिला दास

[illegible]
[illegible] देवी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7)

8)

9)

10)

11)

12)

मौजा — बामेसिया नं० ६।

सर्किल — [illegible]

सबडिवीजन — जामताड़ा

जिला — जामताड़ा

स्केल — 16" = 1 मील

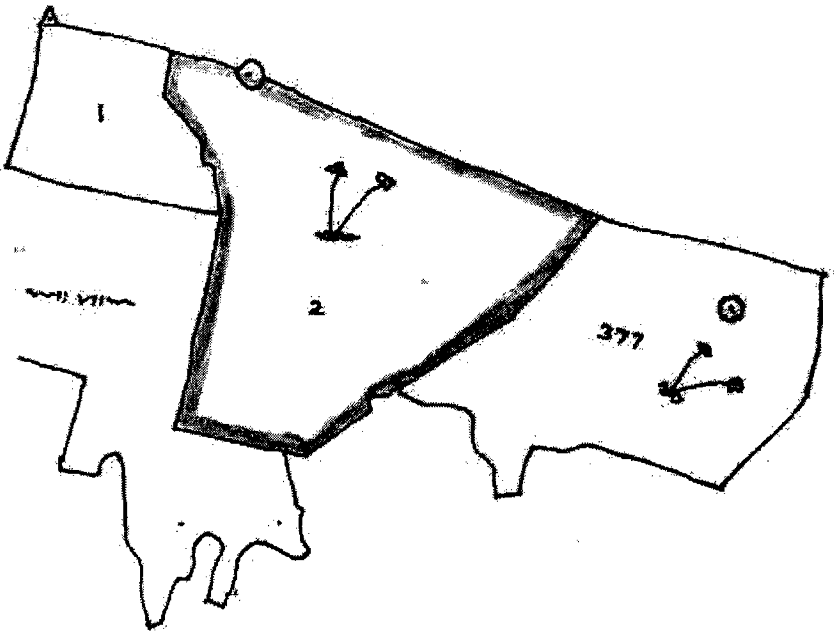

क्र०	दाग नं०	किस्म	रकबा	220 KV D/C
1	2 लाल रंग से दर्शाया गया	जंगल झाड़ी	0.39 [illegible]	गोविन्दपुर – दुमका ट्रांसमिशन लाईन हेतु

12/02/16

विजय [illegible]
अमीन

5

Md. Ishtiyak

1) मोतीलाल मरांडी ग्राम प्रधान लखनपुर

4) अमर सोरेन

5) सरजन टुडू

6) बलिराम बास्की

7) रासीलाल सोरेन

8) टि० नि० किशोरश्वर मरांडी

9) मनोसार सोरेन

10) निर्मल मुर्मू

11) प्रकाश किस्कू

12) साईबलाल मरांडी

13) सनातन मरांडी

14) हेमंत सोरेन

15) अनिल टुडू

16) गोबिन्द सोरेन

टि॰नि॰ लेहाकिस्कू

(51) महुलोसेन

(52) मिनीली मुर्मू

(53) अभिमाय मुर्मू

(54) पालहेन हेंब्रम

(55) टि॰नि॰ सोनामुनी मुर्मू

(56) टि॰नि॰ हलोदी मरांडी

(57) टि॰नि॰ सोनोती बास्की

(58) टि॰नि॰ सोनाली हेम्ब्रम

(59) फुलमनि सोरेन

(60) मान सोरेन

(61) दिवान्द्र [illegible]

(62) [illegible]

(63) [illegible]

(64) टि॰नि॰ [illegible] किस्कू

(65) [illegible] मरांडी

(66) [illegible]

लुखमति मु
लिटिल मुर्मू

Nirmal Bisku

श्रीमती मुर्मू

परिमल किस्कू

जोंगा किस्कू

77 टि०नि० रामेश्वर मुर्मू

78 सुनीलाल मुर्मू

79 टि०नि० लखन मुर्मू

80 टि०नि० मिली मराण्डी

81. टि०नि० कामुनी बेस्रा

82

टि०नि० सुकुमनी मुर्मू

83 विनोद मराण्डी

84 विश्वनाथ टुडू

85 गणेश टुडू

86 Md. Mohammad Amin (उप मुखिया कासराय)

87 दीपक हेम्ब्रम

उक्त ग्रामसभा में निम्न प्रस्ताव पारित किये गए :—

प्रस्ताव संख्या 1 - उक्त बैठक में उपस्थित ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक बताया गया एवं निर्णय लिया गया कि मौजा लखनपुर थाना नं० 60 के खाता संख्या 29 के

15/2

प्रस्तावित ग्राम संरक्षा पर ग्रामीणों के [illegible] का अतिक्रमण नहीं किया गया [illegible] द्वारा किसी प्र
गोविन्दपुर - दुमका ट्रांसमिशन [illegible] 220 KV
वन भूमि के अपयोजन [illegible] लिए प्रयोग
[illegible] द्वारा [illegible] का आपत्ति नहीं [illegible]

[illegible] आलोचना के
उपरान्त सभाध्यक्ष के [illegible] वाद ज्ञापन करते
हुए सभा की [illegible] की गई।

Nirmal Kisku
सभाध्यक्ष का
हस्ताक्षर

[illegible]
12/02/16

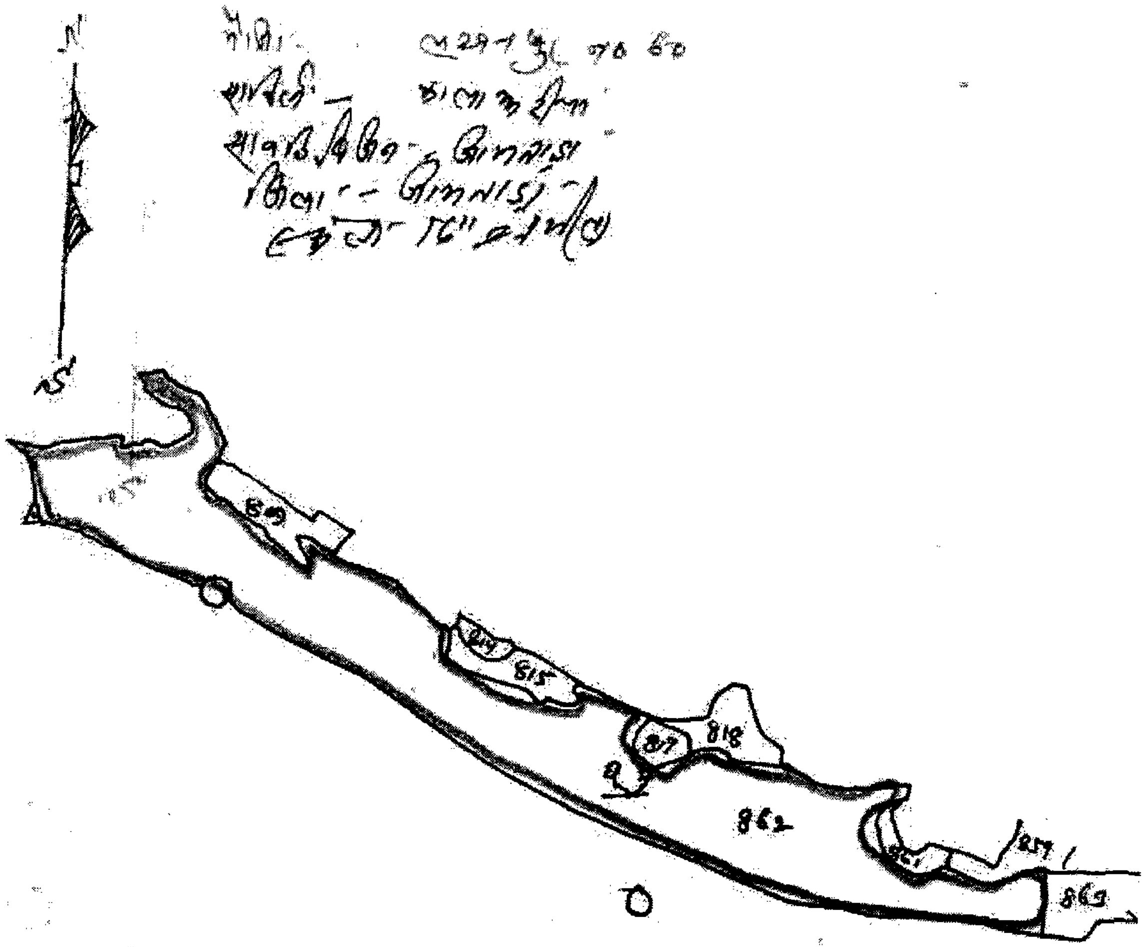

दाग सं०	रकबा	किस्म
862	0.222 हेक्टेयर	जंगल झाड़ी

(9) Sanjay Das.

মৌজা – [illegible] নং 60
থানা – [illegible]
সাব ডিভিশন – [illegible]
জেলা – [illegible]
স্কেল 16" = 1 মাইল

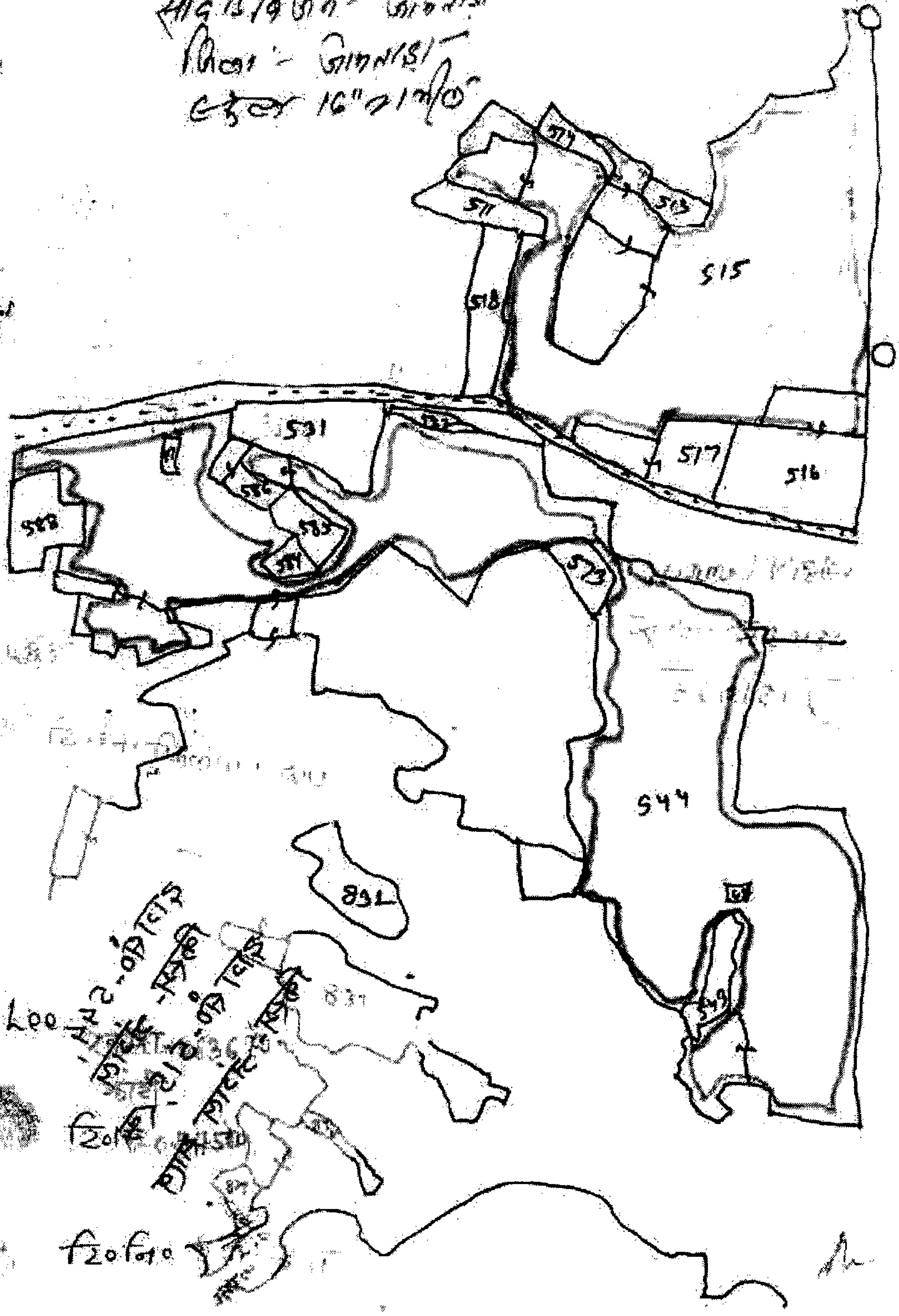

(2)

(3)

(4) Sushe.

(5) Rose Lee

(6) পিং

(7) পিং নিং

(8) পিং নিং রতন দাস

(9) Sanjay Das.

प्रस्तावित दाग सं० पर ग्रामीणों द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। जो 220 KV D/C गोविन्दपुर-दुमका ट्रान्समिशन लाईन के लिए प्रयोजनार्थ वन भूमि के अपयोजन ग्रामीणों का किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है।

उक्त आलोचना के उपरान्त सभाध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा की कार्यवाही समाप्त की गई।

12-2-16

सभाध्यक्ष का ह०

12/02/16

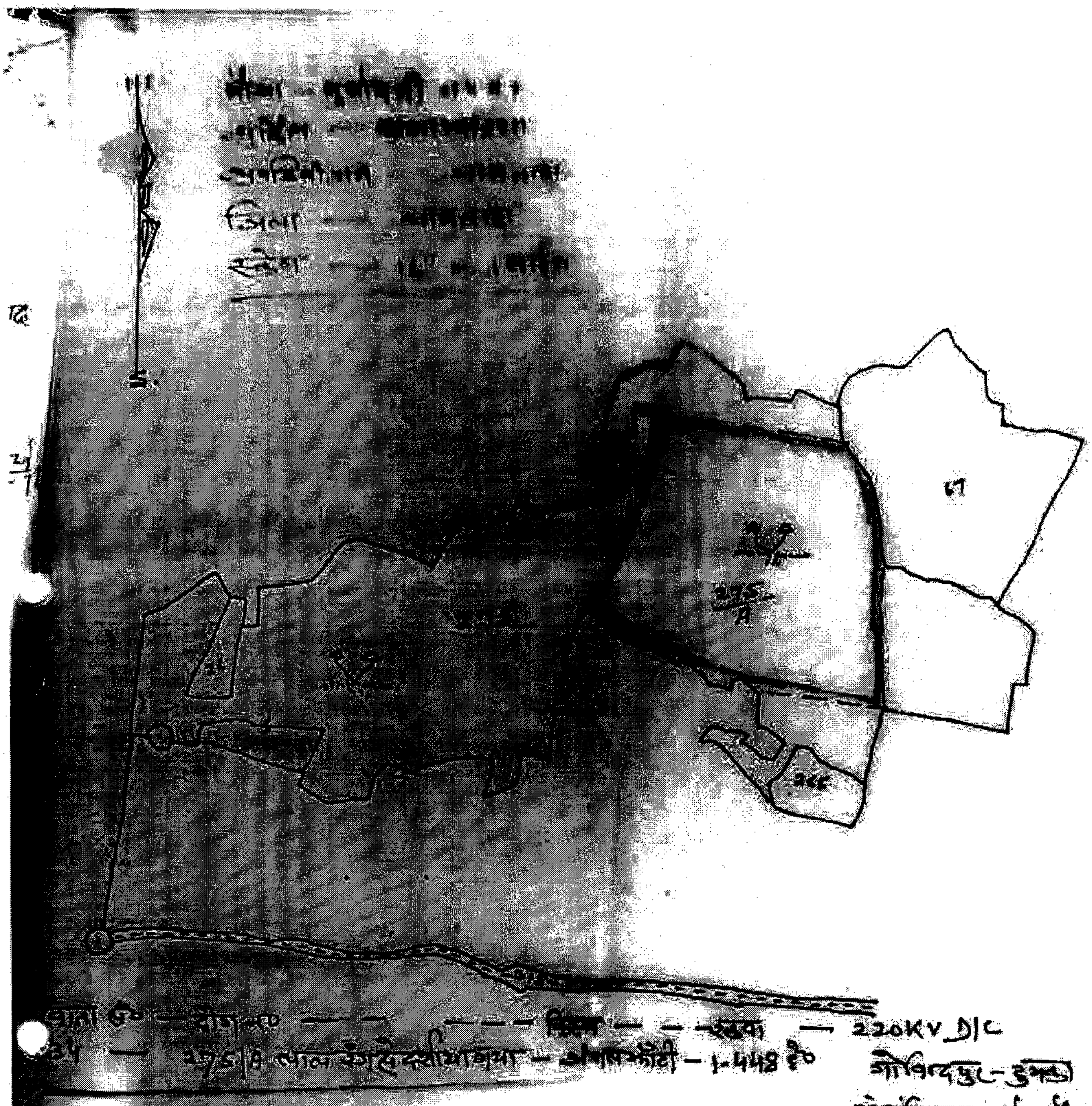

गोविन्दपुर-डुमका
ट्रांसमिशन लाईन हेतु

12/02/16

अमीन

आज दिनांक 12-02-16 को [illegible] में [illegible] मुखिया ग्राम पंचायत [illegible] की परिसर में उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष मुखिया ग्राम पंचायत [illegible] श्री सुनील बास्की की अध्यक्षता में 220 KV D/C गोविन्दपुर-दुमका ट्रान्समिशन लाईन के लिए पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रयोजनार्थ वन भूमि के NOC के संबंध में एक ग्राम सभा बुलाई गई।

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर एवं टि० नि०:—

12.2.16
सभाध्यक्ष का ह०

1. Nirmal Pandit
2. शीतल पंडित
3. बाबुलाल पंडित
4. टि० नि० मंगल टुडू
5. [illegible] किस्कू
6. किसन पंडित
7. Uttam Marandi
8. टि० नि० चन्द्र मरांडी
9. टि० नि० मंगल टुडू
10. टि० नि० बतासी देवी
11. टि० नि० मंगल मरांडी
12. टि० नि० जुनुला टुडू
13. टि० नि० रासमुनी सोरेन
14. टि० नि० ईश्वर पंडित
15. टि० नि० शैलोनी हेम्ब्रम
16. टि० नि० लक्ष्मी पंडित
17. टि० नि० पोवन देवी
18. देबुलाल हेम्ब्रम
19. टि० नि० सनातन सोरेन
20. टि० नि० लोबहा टुडू

आज की बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किये गये:—

प्रस्ताव सं०-(1) उक्त बैठक में उपस्थित ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक बताया गया एवं निर्णय लिया गया है कि मौजा- मुगोवनी थाना न०-62 के खाता सं०- 34, दाग सं०- 275, रकवा- 1.448 हेक्टेयर किस्म- जंगल झाड़ी करकर सर्वे खतियान में दर्ज है।

P.T.O.